

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 1984/फाल्गुन 6, 1905
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, FEB. 25, 1984/FALGUNA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. : 15-आईटीसी(पीएन)/84

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1984

विषय : अप्रैल, 1983—मार्च, 1984 के लिए आयात और निर्यात नीति

मि. सं. 6/1/84- ई पी सी.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना
सं. 10-आईटीसी(पीएन)/83, दिनांक 15 अप्रैल, 1983 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल,
1983—मार्च, 1984 के लिए यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान
दिलाया जाता है।

2. वरुन एसिड और एसिड तेल का आयात भारत के राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) के माध्यम से सरणीबद्ध है देखिये आयात-निर्यात नीति 1983-84 (जिल्द-1) के परिशिष्ट-9 का पैरा 10, 11 नवंबर, 1983 अर्थात् वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 47-आईटीसी(पीएन)/83, दिनांक 11 नवंबर, 1983 से पहले जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों, विशेष अग्रदाय लाइसेंसों, अग्रदाय लाइसेंसों और आर ई पी लाइसेंसों के धारक वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 47-आईटीसी(पीएन)/83, दिनांक 11 नवंबर, 1983 के पैरा 5 के अनुसार परिशिष्ट 9 के पैरा 10 में शामिल मदों के संबंध में राज्य व्यापार निगम को संभरण प्राप्त करने के लिए लाइसेंस के बढ़ने में रिहाई आवेदन जारी करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों से संपर्क करने से पहले अपनी आवश्यकताएं राज्य व्यापार निगम से अग्रिम रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। राज्य व्यापार निगम द्वारा भाल की रिहाई लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए रिहाई आदेश को प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 15-ITC(PN)84

New Delhi, the 25th February, 1984

Subject : Import & Export Policy for April 1983—March 1984.

File No. 61/84-EPC.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1983—March 1984, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 10-ITC(PN)83 dated the 15th April, 1983, as amended.

2. Import of Fatty Acids and Acid oils is canalised through State Trading Corporation of India (STC) vide Part 10 in Appendix 9 of the Import and Export Policy 1983-84 (Vol. I). Holders of Advance licences, Special Imprest licences, Imprest licences and REP licences issued prior to the 11th November, 1983 i.e. the date of issue of Ministry of Commerce Public Notice No. 47-ITC(PN)83 dated the 11th November, 1983, may register their requirement with STC in advance before they approach the licensing authorities for issue of Release Orders in lieu of the licences, for obtaining supplies

from STC in respect of items covered by Para 10 of Appendix 9 in terms of Para 5 of Ministry of Commerce Public Notice No. 47-IFC(PN)83 dated the 11th November, 1983. The goods will be released by STC on the production of Release Orders issued by the licensing authorities.

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports and Exports.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 1984/फाल्गुन 11, 1905
No. 32] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1984/PHALGUN 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वार्णिज्य संत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

वार्षिक सूचना सं० 16—आई टी सी (पी एन)/84

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

विषय :—अप्रैल 1983—मार्च 1984 की आयात और निर्यात नीति

सि०सं० आई टी सी/3/1/83—वार्णिज्य संत्रालय की वार्षिक सूचना सं० 10—
आईटीसी (पीएन)/83 दिनांक 15 मई 1983 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1983—मार्च
1984 की आयात और निर्यात नीति की ओर ध्यान दिया जाता है।